तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0 05/2018–19

आवेदिका– आदोरी तुरी

बनाम

विपक्षी– मोसा शेख

आदेश

29.8.18 आवेदिका आदोरी तुरीन, सा0– दिलालपुर, थाना+पो0– कोटालपोखर के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनको सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा किये गये अवैध दखल से आवेदिका विपक्षी को उच्छेद कराना चाहते है। आवेदक के आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई एवं दाखिल आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा को भेजा गया।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकवा
सिउलीडांगा	62	42	01 बीघा

सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु इस वाद की सुनवाई शिविर न्यायालय, पतना में किया गया।

उभय पक्षों को सुना। आवेदक का कहना है कि मौजा सिउलीडांगा, जमाबंदी नं0 62, दाग नं0 42, रकवा 01 बीघा जमीन मेरे दादा जी स्व0 हरदास तुरी को अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा बन्दोबस्ती वाद सं0 81/1955–56 दिनांक 09.10.1955 के बन्दोबस्ती से प्राप्त हुआ है, जो मेरे पिता के नाम से पंजी ॥ में दर्ज है। उक्त भूमि को विपक्षी मौसा शेख के द्वारा अवैध दखल कब्जा कर लिया है एवं जमीन वापस मांगने पर गाली–गलौज तथा जान से मारने की धमकी देता है। अतएव मौजा सिउलीडांगा जमाबंदी नं0 62 दाग नं0 42 रकवा 01 बीघा जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा दायर आर0ई0 केस दृष्टिकोण से चलने लायक नहीं है। क्योंकि आवेदक ने अपने आवेदन पर विवादित भूमि के मौजा, जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मौजा सिउलीडांगा जमाबंदी नं0 62 दाग नं0 42 के अंतर्गत 01 बीघा जमीन विपक्षी के मित्र लखी तुरी व भोला तुरी वगै0 से दान स्वरूप प्राप्त किये हैं एवं पारिवारिक धनिष्ठ संबंध होने की वजह से दान स्वरूप प्राप्त कर उक्त भूमि पर बसोबास करते आ रहे है। जिस संबंध में भोला तुरी के दस्तावेज साक्ष्य भी उपलब्ध है। आवेदिका आदोरी तुरीन के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दं0प्र0सं0 की धारा 144 एवं क्रि0मि0 वाद सं0 278/18 का मुकदमा भी दायर किया था। जिसमें आवेदिका ने न्यायालय में उपस्थित होकर केस मिथ्या होने के कारण वापस ले लिया गया है। आवेदिका विपक्षी को परेशान करने की नीयत से यह वाद लाया है। अतएव श्रीमान् से प्रार्थना है कि कारण पृच्छा स्वीकार करते हुए उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा की जाय।

29/8/18

1/MP/17/1825

G. Sri Ratan Kumar Chowbey

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने पत्रांक 853/रा0, दिनांक 10.07.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा सिउलीडांगा जमाबंदी नं0 62 दाग नं0 42 रकवा 01 जमीन पंजी ॥ में हरदास तुरी के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत हरदास तुरी आवेदिका आदोरी तुरीन के दादा है तथा आवेदिका जमाबंदी रैयत के वंशज एवं वंशानुगत उत्तराधिकारी हैं। उक्त जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के बन्दोबस्ती वाद सं0 81/1955–56 दिनांक 09.10.1955 के द्वारा आवेदिका के दादा को प्राप्त हुआ है। स्थानीय जाँच में पाया गया कि वर्णित जमीन पर वर्तमान में विपक्षी मोसा से पिता तोफु शेख सा0 रनडांगा जिला पाकुड के द्वारा दखल किया गया है और उसी जमीन के कुछ हिस्से पर घर बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। अतएव अग्रेतर कार्रवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है।

आवेदिका ने अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात दाखिल किया है:–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के बन्दोबस्ती वाद सं0 81/1955–56 दिनांक 09.10.1955 के पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
2. मौजा सिउलीडांगा खेसरा सं0 42 रकवा 01 बीघा से संबंधित वर्ष 2016–17 का लगान रसीद की छाया प्रति, जिसमें नाम देहिन्दा आदोरी तुरीन अंकित है।

विपक्षी ने अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अंचल अधिकारी, बरहरवा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वर्णित जमीन आवेदक आदोरीतुरीन के दादा हरदास तुरी ने अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के बन्दोबस्ती वाद सं0 81/1955–56 दिनांक 09.10.1955 के द्वारा प्राप्त किये हैं एवं पंजी ॥ में हरदास तुरी के नाम से दर्ज है। विपक्षी के द्वारा वर्णित जमीन दान–पत्र के रूप में प्राप्त करने का दावा करते है, जो अवैध है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत विचारोपरांत पाया जाता है कि आवेदिका को प्रश्नगत भूमि विधिवत बंदोबस्त कि गई है। अतः विपक्षी को मौजा सिउलीडांगा के जमाबन्दी नम्बर – 62, दाग न॰–42 रकवा 01 बीघा भूमि से उच्छेद किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा एवं थाना प्रभारी, कोटालपोखर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

29/8/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

29/8/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

ज्ञापांक 334/रा0
2.10.18

Scanned with CamScanner